न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 09/2022
दायर दिनांकः 27.05.2022
निर्णय दिनांक 28.01.2025

—: अनवान :—

श्रीमती मथरा बाई पत्नी राम लाल जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद — प्रार्थी/निगराकार

बनाम

ग्राम पंचायत सुन्दरचा जरिये सरपंच साहब, ग्राम पंचायत सुन्दरचा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद — गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुन्दरचा, क्रमांक ग्रा.पं.सु./43–46 दिनांक 23–05–2022 एवं नोटिस सं. ग्रा.पं.सु./नोटिस /2022/37–40 दिनांक 18=05–2022, अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री सम्पत लाल लढ्डा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुन्दरचा, क्रमांक ग्रा.पं. सु./43–46 दिनांक 23.05.2022 एवं नोटिस सं. ग्रा.पं.सु./नोटिस/2022/37–40 दिनांक 18. 05.2022 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सुन्दरचा ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख/पट्टा क्र.सं. 1355 दिनांक 15.07.1996 को जारी किया गया, जिसमें चतुर्दिशाओ के पडौस निम्नानुसार है :— पूर्व में — चारभुजा मन्दिर की भूमि, पश्चिम में — आम रास्ता, उत्तर में — आम रास्ता, दक्षिण में — आम रास्ता। भूखण्ड का माप 30 फीट लम्बाई व 12 फीट चौडाई का हैं इस पट्टे की पुस्त पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 05.11.2019 के निर्णय अनुसार इस पट्टे की अवधि बढाने का उल्लेख सरपंच साहब शंकर लाल जी गुर्जर के हस्ताक्षर व दिनांक 10.11.2019 की तारीख सहित है। उक्त वर्णित भूमि में निगराकार का पक्का निर्माण किया हुआ है निगराकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन ग्राम पंचायत में दिनांक 29.04.2022 को प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम पंचायत ने अपने पत्र क्रमांक ग्रा.पं.सु. /2022–23/18 दिनांक 05.05.2022 के द्वारा सूचित किया कि "मथरा बाई के नाम पर दिनांक 15.07.1996 की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 1353 की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 05.11.2019 के निर्णय की प्रति चाही है। ग्राम पंचायत में उपलब्ध रेकार्ड की तलाशी लेकर अवलोकन किया गया, जिसमे वांछित पट्टे से सबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए है, तथा आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 05.11.2019 के प्रस्ताव की प्रति के संबंध में बताया कि प्रस्तुत पट्टे का नवीनीकरण अस्वीकृत कर दिया गया।" हमने पंचायत से पट्टा सं. 1355 की नकल मांगी थी, किन्तु पंचायत ने पट्टा सं. 1353 के बारे में अनुपलब्धता की बात कपटपूर्वक लिख दी तथा आश्चर्यजनक रूप से नवीनीकरण के बारे में भी अस्वीकृत होना बता दिया, जबकि पट्टा स्वयं पर नवीनीकरण बाबत तत्कालीन सरपंच ने लिखा है। ग्राम पंचायत सुन्दरचा ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (1) के तहत आबादी भूमि पर ट्रेस पास

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बाबत माह जनवरी व जुलाई में कोई कमेटी तीन सदस्यो की गठित कर के सर्वे रिपोर्ट नही बनाई एवं गनगानी रीति से केवल निगराकार व उसके पति को परेशान करना शुरू किया, जो अवैध व विधि विरूद्ध है एवं दुराशयपूर्ण है यदि सारे गाँव के ट्रेस पासर्स के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करते तो दुराशय प्रकट नहीं होता, परन्तु एक माह में कितने ही नोटिस निकाल कर वैध कब्जा को नाजायज मान कर गिराने पर उतारू है, जो अनुचित है। नियम 165 (2) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत सेक्रेटरी द्वारा मेन्टेन रजिस्टर को मंगवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, ताकि विपक्षी के द्वारा केवल निगराकार के विरूद्ध षडयंत्रपूर्वक की जा रही कार्यवाही का पर्दाफाश हो सके। विपक्षी को नियम 165 (3) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत नोटिस जारी कर के निगराकार को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देकर सुटेबल ऑर्डर पारित करना चाहिये किन्तु विपक्षी ने तो निगराकार के धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत 2 माह का नोटिस देने व वस्तु स्थिति बताये जाने, पट्टा पेश कर देने पर भी कभी सुनवाई का मौका नहीं दिया, उल्टे बार–बार नोटिस भेज कर निगराकार को बिना सुने ही अतिक्रमी घोषित कर के बेदखली किये जाने के चेतावनी पे चेतावनी पत्र जारी किये जा रहे है, जो अवैध विधि विरूद्ध व प्राकृति न्याय सिद्धान्तो के विपरित है। निगराकार के पास पृथक तो पट्टा है तथापि पट्टा मे वर्णित क्षेत्र से अधिक पर कोई निर्माण पाया जाता है तो भी नियम 165 (4) के तहत मामला नियमन योग्य होता हैं परन्तु हमें सुना ही नहीं जा रहा है, जैसे हमने बहुत बडा अपराध कर दिया हो, प्रारम्भ में निगराकार के पति रामलाल जी को नोटिसेज जारी किये गये, जिनके जवाब देकर स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास पंचायत का पट्टा है, किन्तु पंचायत ने हमें इतने नोटिसेज दिये गये, किन्तु दुराशयपूर्वक किसी भी नोटिस में हमारे द्वारा प्रस्तुत पट्टे का जानबूझ कर उल्लेख नहीं किया है, जो आश्चर्यजनक है। मानो पंचायत रक्षक नहीं होकर आक्रमणकारी बन गई है। निगराकार की ओर से सारी वस्तु स्थिति बताते हुए दिनांक 26.04.2022 को धारा 109 राजस्थान पंचाायती राज अधिनियम में नोटिस दे दिया तब भी नोटिस में उल्लेखित तथ्यों पर विचार मनन व निर्णय बिना हमें बार–बार गलत अवैध नोटिस देकर प्रताडित किया जा रहा है। निगराकार ने विपक्षी के नोटिस सं. 13–14 दिनाक 28.04.2022 का जवाब दिनांक 29.04.2022 को दिये, उसमें स्पष्ट किया गया कि हमारे पास पट्टा है किन्तु पुनः पंचायत ने दिनांक 12.05.2022 को नोटिस दे दिया, कि अपना पक्ष 3 दिन में प्रस्तुत करे, जबकि हम अपना पक्ष तो धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नोटिस में दिनांक 26.04.2022 को ही रख चुके थे जिसका कोई उल्लेख पंचायत पश्चातवर्ती नोटिस में नहीं दे रही है, जो कपट पूर्ण, दुराशयपूर्ण व द्वेषतापूर्ण है। हमने पंचायत के नोटिस दिनांक 12.05.2022 मिलने पर जवाब दिनांक 18.05.2022 को प्रस्तुत कर के पूर्ण लीगल नोटिस व पूर्ण जवाबो का उल्लेख कर दिया एवं वस्तुतः स्थिति बता दी कि हमारा नाजायज कब्जा नहीं है तो भी पंचायत ने हमें नहीं सुना व बार बार नोटिस पर नोटिस भेज रही है, जैसे पंचायत के पास अन्य कोई कार्य नहीं हो एवं एक मात्र उद्देश्य हमें जलील व परेशान करना ही हो ? हमारे वैध पट्टा को पंचायत स्वतः कैसे निरस्त मान सकती है? पंचायत की सोच ही गलत है एवं इसी कारण पंचायत नाजायज कार्य करने पर उतारू हैं पंचायत ने पुनः पूर्व के नोटिसेज की भांति ही निगराधीन नोटिसेज दिनांक 18.05.2022 एवं दिनांक 23.05.2022 भिजवा दिये है जबकि हम अपना पक्ष पूर्व में लिखित में प्रस्तुत कर चुके थे। ग्राम पंचायत ने तर्क संगत कोई निर्णय नहीं किया है, हमें सुना ही नहीं, व वैध पट्टे को अवैध पट्टा/स्वतः निरस्त बता कर हमारे वैध निर्माण को गिराने पर उतारू है, जो नाजायज है। जब हमारा अतिक्रमण ही नहीं है तो पंचायत हमारे वैध कब्जा को सक्षम न्यायालय से अनुमति/डिक्री प्राप्त किये बिना कैसे हटा सकती है इस दृष्टि से निगरानाधीन दोनो नोटिसेज निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना हैं कि निगरानी याचिका मन्जूर की जाकर अवर न्यायालय/विपक्षी ग्राम पंचायत के निगरानाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 एवं दिनांक 23.05.2022 को निरस्त किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत द्वारा उपस्थिति दी गई।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निगरानी में वर्णित पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सुन्दरचा के कार्यालय में कोई रिकोर्ड या पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इसलिये इस कलम में वर्णित पट्टा जारी किया जाना स्वीकार नहीं है। ग्राम पंचायत के रिकोर्ड के अनुसार इस पट्टे की अवधि बढ़ाना भी ग्राम पंचायत द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अस्वीकृत कर दिया गया था। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 05/11/2019 के निर्णय से उक्त पट्टे की अवधि बढाई गई हो। उक्त दिनांक को पट्टे की अवधि बढाये जाने का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टे की पुश्त पर अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या अंकन किया गया है उसका ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड नहीं है। इस कलम में वर्णित निर्माण अतिक्रमण कर अवैध रुप से किया गया था जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई थी। निगराकार द्वारा जो सूचना मांगी गई थी, वह सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई थी। निगराकार को जो सूचना उपलब्ध कराई गई थी, वह सूचना पट्टा संख्या 1355 के सम्बन्ध में ही थी, केवल मात्र उपलब्ध करायी गयी सूचना में सहवन से पट्टा संख्या 1353 लिख दिया गया था, जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। सहवन से हुई त्रुटि को कपट बताना गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा मनमानी रिति से निगराकार व उसके पति को परेशान करना शुरू किया गया हो। ग्राम पंचायत द्वारा कोई अवैध एवं विधिविरूद्ध कार्य नहीं किया गया और न ही दुराशयपूर्ण कोई कार्य किया गया। ग्राम पंचायत को अतिक्रमण के सम्बन्ध में ग्रामवासीयों द्वारा शिकायत की जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। निगराकार स्वयं के अतिक्रमण को बचाने के लिये मिथ्या तथ्य वर्णित करते हुए झूठे आरोप लगाते हुए यह निगरानी प्रस्तुत की हो। ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार को विधिवत नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी, ग्राम पंचायत द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया। निगराकार के पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है। निगराकार ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो नियमन योग्य नहीं है। निगराकार के पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत आक्रमणकारी बन गई हो। ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस नियमानुसार दिये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई कपटपूर्ण, दुराशयपूर्ण व द्वेशतापूर्ण नोटिस नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर निगराकार को जवाब का पर्याप्त अवसर देकर अतिक्रमण हटाने का निर्णय किया गया है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है। निगराकार के पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर निगराकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी सव्यय खारिज करने का आदेश फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत सुन्दरचा ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख/पट्टा क्र.सं. 1355 दिनांक 15.07.1996 को जारी किया गया, इस पट्टे की पुस्त पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 05.11.2019 के निर्णय अनुसार इस पट्टे की अवधि बढाने का उल्लेख सरपंच साहब शंकर लाल जी गुर्जर के हस्ताक्षर व दिनांक 10.11.2019 की तारीख सहित है। उक्त वर्णित भूमि में निगराकार का पक्का निर्माण किया हुआ है निगराकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन ग्राम पंचायत में दिनांक 29.04.2022 को प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम पंचायत ने अपने पत्र क्रमांक ग्रा.पं.सु./2022–23/18 दिनांक 05.05.2022 के द्वारा सूचित किया कि "मथरा बाई के नाम पर दिनांक 15.07.1996 की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 1353 की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 05.11.2019 के निर्णय की प्रति चाही है। ग्राम पंचायत में उपलब्ध रेकार्ड की तलाशी लेकर अवलोकन किया गया, जिसमे वांछित पट्टे से सबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए है, तथा आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 05.11.2019 के प्रस्ताव की प्रति के संबंध में बताया कि प्रस्तुत पट्टे का नवीनीकरण अस्वीकृत कर दिया गया।" हमने पंचायत से पट्टा सं. 1355 की नकल मांगी थी, किन्तु पंचायत ने पट्टा सं. 1353 के बारे में अनुपलब्धता की बात कपटपूर्वक लिख दी तथा आश्चर्यजनक रूप से नवीनीकरण के बारे में भी अस्वीकृत होना बता दिया, जबकि पट्टा स्वयं पर नवीनीकरण बाबत तत्कालीन सरपंच ने लिखा है। ग्राम पंचायत सुन्दरचा ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (1) के तहत आबादी भूमि पर ट्रेस पास बाबत माह जनवरी व जुलाई में कोई कमेटी तीन सदस्यो की गठित कर के सर्वे रिपोर्ट नीं बनाई एवं मनमानी रीति से केवल निगराकार व उसके पति को परेशान करना शुरू किया, जो अवैध व विधि विरूद्ध है एवं दुराशयपूर्ण है यदि सारे गाँव के ट्रेस पासर्स के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करते तो दुराशय प्रकट नहीं होता, परन्तु एक माह में कितने ही नोटिस निकाल कर वैध कब्जा को नाजायज मान कर गिराने पर उतारू है, जो अनुचित है।हमने पंचायत के नोटिस दिनांक 12.05.2022 मिलने पर जवाब दिनांक 18.05.2022 को प्रस्तुत कर के पूर्ण लीगल नोटिस व पूर्ण जवाबो का उल्लेख कर दिया एवं वस्तुतः स्थिति बता दी कि हमारा नाजायज कब्जा नहीं है तो भी पंचायत ने हमें नहीं सुना व बार बार नोटिस पर नोटिस भेज रही है, जैसे

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत के पास अन्य कोई कार्य नहीं हो एवं एक मात्र उद्देश्य हमें जलील व परेशान करना ही हो ? हमारे वैध पट्टा को पंचायत स्वतः कैसे निरस्त मान सकती है? पंचायत की सोच ही गलत है एवं इसी कारण पंचायत नाजायज कार्य करने पर उतारू हैं पंचायत ने पुनः पूर्व के नोटिसेज की भांति ही निगराधीन नोटिसेज दिनांक 18.05.2022 एवं दिनांक 23.05.2022 भिजवा दिये है जबकि हम अपना पक्ष पूर्व में लिखित में प्रस्तुत कर चुके थे। ग्राम पंचायत ने तर्क संगत कोई निर्णय नहीं किया है, हमें सुना ही नहीं, व वैध पट्टे को अवैध पट्टा/स्वतः निरस्त बता कर हमारे वैध निर्माण को गिराने पर उतारू है, जो नाजायज है। जब हमारा अतिक्रमण ही नहीं है तो पंचायत हमारे वैध कब्जा को सक्षम न्यायालय से अनुमति/डिक्री प्राप्त किये बिना कैसे हटा सकती है इस दृष्टि से निगरानाधीन दोनो नोटिसेज निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना हैं कि निगरानी याचिका मन्जूर की जाकर अवर न्यायालय/विपक्षी ग्राम पंचायत के निगरानाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 एवं दिनांक 23.05.2022 को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त निगरानी में वर्णित पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सुन्दरचा के कार्यालय में कोई रिकोर्ड या पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इसलिये इस कलम में वर्णित पट्टा जारी किया जाना स्वीकार नहीं है। ग्राम पंचायत के रिकोर्ड के अनुसार इस पट्टे की अवधि बढ़ाना भी ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 05/11/2019 के निर्णय से उक्त पट्टे की अवधि बढाई गई हो। उक्त दिनांक को पट्टे की अवधि बढाये जाने का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टे की पुश्त पर अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या अंकन किया गया है उसका ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड नहीं है। इस कलम में वर्णित निर्माण अतिक्रमण कर अवैध रुप से किया गया था जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई थी। निगराकार द्वारा जो सूचना मांगी गई थी, वह सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई थी। निगराकार को जो सूचना उपलब्ध कराई गई थी, वह सूचना पट्टा संख्या 1355 के सम्बन्ध में ही थी, केवल मात्र उपलब्ध करायी गयी सूचना में सहवन से पट्टा संख्या 1353 लिख दिया गया था, जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। सहवन से हुई त्रुटि को कपट बताना गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा मनमानी रिति से निगराकार व उसके पति को परेशान करना शुरू किया गया हो। ग्राम पंचायत द्वारा कोई अवैध एवं विधिविरूद्ध कार्य नहीं किया गया और न ही दुराशयपूर्ण कोई कार्य किया गया। ग्राम पंचायत को अतिक्रमण के सम्बन्ध में ग्रामवासीयों द्वारा शिकायत की जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। निगराकार स्वयं के अतिक्रमण को बचाने के लिये मिथ्या तथ्य वर्णित करते हुए झूठे आरोप लगाते हुए यह निगरानी प्रस्तुत की हो। ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार को विधिवत नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी, ग्राम पंचायत द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया। निगराकार के पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है। निगराकार ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो नियमन योग्य नहीं है। निगराकार के पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत आक्रमणकारी बन गई हो। ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस नियमानुसार दिये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई कपटपूर्ण, दुराशयपूर्ण व द्वेशतापूर्ण नोटिस नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर निगराकार को जवाब का पर्याप्त अवसर देकर अतिक्रमण हटाने का निर्णय किया गया है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है। निगराकार के पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर निगराकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी सव्यय खारिज करने का आदेश फरमावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस व पत्रावली के गुणावगुण पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में निगराकार प्रार्थीया श्रीमती मथुरा बाई पत्नि रामलाल गुर्जर ने ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा प्रार्थीया के आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् दिनांक 18.05.2022 व 23.05.2022 को जारी नोटिस के विरूद्ध उक्त निगरानी प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा दिनांक 18.05.2022 व 23.05.2022 को जारी आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

इस क्रम में ग्राम पंचायत सुन्दरचा की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि समस्त ग्रामवासी डिप्टीखेड़ा ने दिनांक 21.04.2022 को ग्राम पंचायत सुन्दरचा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री रामलाल पिता देवा गुर्जर निवासी डिप्टीखेड़ा द्वारा अन्दर हल्का आबादी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम डिप्टीखेड़ा में चारभुजा जी मन्दिर की भूमि पर व रास्ते पर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत् निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.04.2022 को प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को संबंधित भूमि के दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये व दिनांक 25.04.2022 को पूर्ण कोरम द्वारा मौका निरीक्षण किया गया व मूर्तिव मौका पर्चा में यह उल्लेख किया गया कि श्री रामलाल पिता देवा गुर्जर निवासी डिप्टीखेड़ा ने चारभुजा मन्दिर के पीछे आम रास्ते पर आबादी भूमि पर पक्का कमरा बनाकर टीनशेड लगाकर अतिक्रमण कर रखा है, मौके पर श्री रामलाल पिता देवा गुर्जर का आबादी भूमि में अवैध निर्माण होने से ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियमावली 1996 के नियम 165(3) में विहित प्रावधान **"पंचायत आबादी क्षेत्र में के ऐसे अतिचारियों को, अतिचारित भूमि की बदेखली के लिए नोटिस जारी करेगी जब कभी पंचायत या उसके सदस्य या सचिव ध्यान में लाया जावे की अतिक्रमण किया जा रहा है। तो सरपंच को अधिकार होगा कि अतिक्रमण के विरूद्ध निषेधात्मक आज्ञा जारी करके तुरन्त अतिक्रमण या निर्माण रोक दे अन्यथा उसके खर्च व हर्जाने पर ऐसा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा तथा सुनवाई की तिथि तय की जायेगी और पंचायत सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उचित आदेश पारित कर सकेगी।"** के तहत अतिक्रमी के विरूद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा हटाने बाबत् विधिवत् नोटिस जारी किये गये। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत में विचाराधीन उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.04.2022, 05.05.2022, 10.05.2022, 11.05.2022 व 16.05.2022 को नियमित सुनवाई की जाकर, प्रार्थीया को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर राजस्थान पंचायतीराज नियमावली में विहित प्रावधानों के तहत दिनांक 18.05.2022 व 23.05.2022 को कब्जा हटाने बाबत् अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किये गये।

विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीया का यह भी कथन है कि प्रार्थीया के पक्ष में ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख/पट्टा संख्या 1355 दिनांक 15.07.1996 को जारी किया गया व ग्राम पंचायत सुन्दरचा के प्रस्ताव दिनांक 05.11.2019 के निर्णय अनुसार इस पट्टे की अवधि को बढ़ाने का उल्लेख पट्टे के पुश्त भाग पर किया गया है, इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा प्रार्थीया को पट्टेशुदा भूमि का अतिक्रमी बताया जाकर नोटिस जारी कर कब्जा हटाने/बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जो अवैध है।

इस क्रम में जहां तक प्रार्थीया के पक्ष में जारी पट्टे व पट्टे की अवधि को बढ़ाने का प्रश्न है पत्रावली पर उपलब्ध पट्टे की फोटोप्रति का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा प्रार्थीया मथुरा बाई पत्नि रामा गुर्जर निवासी डिप्टीखेड़ा के पक्ष आबादी भूमि का विक्रय विलेख/पट्टा क्रमांक 1355 दिनांक 15.07.1996 को जारी किया गया एवं जारी पट्टे में यह शर्त अंकित की गयी कि इस भूमि पर आंवटन के दो वर्ष के अन्दर मकान का निर्माण इत्यादी करना अनिवार्य होगा यदि इस अवधि में यह कार्य नही किया गया तो भूखण्ड वापस लेने का अधिकार आंवटन अधिकारी को होगा। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध पर्चा मौका दिनांक 13.03.2018 के अवलोकन करने पर पाया कि उक्त पर्चा मौके में यह उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कच्चे पत्थरो की दिवार बना रखी है व अन्दर जलाउ लकडी व खाद की रोडी बना रखी हैं एवं ग्राम पंचायत सुन्दरचा की पत्रावली पर उपलब्ध पर्चा मौका दिनांक 25.04.2022 में यह उल्लेखित किया गया है कि श्री रामलाल देवा गुर्जर ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से रातोरात तीन चार दिन में कमरा बनाया है। इससे पूर्व यह जमीन खाली पड़ी थी। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा पट्टे में वर्णित उपरोक्त शर्त की पालना नहीं की गयी। पट्टा क्रमांक 1355 की पुश्त भाग पर यह उल्लेख किया हुआ है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 05.11.2019 के निर्णय अनुसार इस पट्टे की अवधि बढ़ाई जाती है एवं तत्कालिन सरपंच श्री शंकरलाल गुर्जर के हस्ताक्षर अंकित है, इस क्रम में ग्राम पंचायल की बैठक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा दिनांक 05.11.2019 को कोरम की बैठक आयोजित नहीं हुई व दिनांक 08.11.2019 को कोरम की बैठक आयोजित हुई, जिसकें बैठक प्रस्ताव संख्या 5 अनुसार प्रार्थीया मथुराबाई के पक्ष में जारी पट्टे के नवीनीकरण हेतू प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में पट्टे के नवीनीकरण को अस्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा प्रार्थीया को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर, मौका निरीक्षण किया जाकर बार-बार नोटिस जारी कर ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियमावली में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

विहित प्रावधानों के तहत प्रार्थीया को कब्जा हटाने/ बेदखली हेतु अंतिम चेतावानी नोटिस जारी किये गये जो पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जाकर जारी किये गये, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानुकुल व विधिसम्मत् है अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Scanned with OKEN Scanner